मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 1990 (आषाढ़ 8, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर में बैंक डकैती एवं हत्या के आरोपी न पकड़े जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सुश्री कल्याणी पाण्डे, सदस्या, कटनी पुलिस की अकारण मारपीट से एक युवक की हुई मृत्यु की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(3) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, रायपुर नगर के गुड़ियारी निवासी एक व्यक्ति की पुलिस की पिटाई से हुई मृत्यु की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम पिपरा पिडौल निवासी एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, दुर्ग जिले के दो कारखानों से जल एवं वायु प्रदूषित होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्राम घुट्टी की आदिवासी बालिका के साथ बलात्कार होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री ललित जैन, सदस्य, दमोह जिले में मस्तिष्क ज्वर से अनेक मौतें होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, सदस्य, सीधी जिले के संजय राष्ट्रीय उद्यान में अग्नि काण्ड से हुई क्षति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम सालीढ़ाना में आबकारी एवं पुलिस कर्मियों द्वारा आदिवासियों के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार/रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम दुल्हैनी में घटित लूट एवं हत्या की घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम जिरना की एक सन्यासी युवती की हुई हत्या की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. मुख्य मंत्री का वक्तव्य एवं संबंधित विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा घोषित स्वयं की सम्पत्ति के विवरण के संबंध में वक्तव्य देंगे तथा संबंधित विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे.

4. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ की सभा के लिये राज्य विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन

श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :--

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 के अधीन निर्मित परिनियम के खण्ड 2(1) के उप-खण्ड-15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य--

(1) जिला छतरपुर थाना बड़ामलहरा के ग्राम रानीखैरा में पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपप लगाये जाने के संबंध में सरपंच एवं 17 व्यक्तियों की,

(2) जिला छतरपुर विकास खण्ड बड़ामलहरा के ग्राम जंसगुवा में पेयजल की सुविधा कराने के संबंध में सरपंच एवं 26 व्यक्तियों की,

(3) जिला छतरपुर विकास खण्ड बड़ामलहरा के ग्राम रानीताल में पेयजल की सुविधा कराने के संबंध में सरपंच एवं 19 व्यक्तियों की,

(4) जिला छतरपुर विकास खण्ड बड़ामलहरा के ग्राम रानीताल में हाईस्कूल खोले जाने के संबंध में सरपंच एवं 22 व्यक्तियों की, तथा

(5) जिला छतरपुर विकास खण्ड बड़ामलहरा के ग्राम रानीताल में सेवा सहकारी समिति की स्थापना कराये जाने के संबंध में सरपंच एवं 25 व्यवितयों की,

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय 1 बजे तक.

6. वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

7. अशासकीय संकल्प

40 मिनिट (1) सर्वश्री शिवराज सिंह / जालम सिंह पटेल / रामानन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"यह सदन संकल्प करता है कि समस्त शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाये अथवा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाये."

20 मिनिट (2) श्री ताराचन्द साहू, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"इस सदन का मत है कि प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन के लिए प्रत्येक जिले में एक शासकीय प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जावे."

20 मिनिट (3) श्री धीरेन्द्र सिंह धीरू, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"इस सदन का यह मत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन व्यवस्था को सुचारू बनाया जाय एवं पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध कराई जाय."

15 मिनिट (4) श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"इस सदन का यह मत है कि देश के अन्य राज्यों में कार्यरत प्रादेशिक व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वृत्ति कर (प्रोफेशनल टैक्स) में छूट के समान ही प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को छूट दी जाय."

25 मिनिट (5) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"इस सदन का मत है कि प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था हेतु प्रत्येक नदी नालों पर स्टाप डेम तथा अधिक संख्या में तालाबों का निर्माण किया जाय."

8. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 22 जून, 1990 को वाणिज्यिक कर मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 1024) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री महेश तिवारी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक 28 जून, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.